न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 68/2014 निर्णय दिनांक 29.11.2019

नम्रता पुत्री रामधनसिंह जाट झाझडिया निवासी फतेहसरा जिला झुन्झुनु हाल श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

————प्रार्थी

बनाम

1शिवरतन 2 चन्दनमल पुत्रगण आसूराम 3 मनोहरीदेवी पत्नी स्व. श्री भगवान 4 तोलूराम पुत्र देबूराम कुम्हार निवासीगण श्री डूँगरगढ 5 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ 6 नगरपालिका श्री डूँगरगढ जरिये अधिशाषी अधिकारी श्री डूँगरगढ

————अप्रार्थी

उपस्थिति–

1. श्री राजूराम बाना अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. श्री ओमप्रकाश पंवार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की तरफ से ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।
4. श्री बाबूलाल दर्जी अधिवकता अप्रार्थी संख्या 6 की तरफ से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र नम्रता ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से खेत खसरा नम्बर 784 तादादी 2.1100 हैक्टयर रोही श्री डूँगरगढ तहसील श्री डूँगरगढ में अवस्थित है । जिसका रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 67 तादादी 2.0900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 104 तादादी 1.2600 हैक्टयर रोही श्री डूँगरगढ तहसील श्री डूँगरगढ में से रेलवे फाटक से रिडी जाने वाले रास्ते से फटकर सीधा पूर्वी तरफ जाता हुआ अप्रार्थी संख्या 4 के खेत खसरा नम्बर 105 तादादी 5.0600 हैक्टयर रोही श्री डूँगरगढ से गुजरता हुआ प्रार्थीनी के खेत में प्रवेश करता है । जिसकी दूरी लगभग 300 मीटर एवं चौडाई 6 मीटर है जो रास्ता अप्रार्थीनी के खेत में शुरू से ही चला आ रहा है इसी रास्ते से प्रार्थीनी अपने खेत में आती जाती रही है । उक्त रास्ता रोड से फटकर अप्रार्थीगण के खेतों के उतरी तरफ से गुजरता है उक्त रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है यही एक मात्र रास्ता है जिससे प्रार्थीनी अपने खेत में आती जाती है । उक्त खेत के रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बार बार बंद करते रहते है एवं आने जाने से रोकते है अप्राथी संख्या 1 ता 3 ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है जिसको खुलवाने के लिए प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से आपसी समझौता से निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 रास्ता को खोल ही नहीं रहे हे । बार बार अवरूद्ध करते रहते है । उक्त खेत में प्रार्थीनी का विद्यमान रास्ता है जिसकी चौडाई 5 मीटर है प्रार्थीनी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 67 तादादी 2.0900 हैक्टयर खसरा नम्बर 104 तादादी 1.2600 हैक्टयर रोही श्री डूँगरगढ में रिडी ग्रेवल सडक से फंटकर उतरी तरफ से गुजरता हुआ प्रार्थीनी के खेत में से प्रवेश करता है । जिसकी लम्बाई 300 मीटर एवं चौडाई 5 मीटर है प्रार्थीनी के खेत के रास्ते को दर्शाते हुए नजरी फर्द मौका का नक्शा संलग्न है जिसमें x से y ग्रेवल सडक है व लाल स्याही से मार्क A से B अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के खेतों से गुजरता हुआ रास्ता है जिसकी लम्बाई 300

Scanned by CamScanner

मीटर है जो प्रार्थीनी के खेत में जाता है जो अत्यन्त आवश्यक एवं प्रार्थीनी के खेत तक पहुंचने का एक मात्र रास्ता है उक्त रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीनी द्वारा अपने खेत तक पहुंचने का अन्य रास्ता नहीं है । प्रार्थीनी के खेत में आने जाने के लिए अन्यकोई रास्ता नहीं है यहीएक मात्र प्रार्थीनी के आने जाने का एक मात्र रास्ता है जिससे प्रार्थीनी शुरू से ही इसी रास्ते से हाकर अपने खेत में आती जाती है । प्रार्थीनी अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डीएलसी दर की दोगुना कीमत नियमानुसार अदा करने को तैयार है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी के नाम से खातेदारी खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर 784 तादादी 2.1100 हैक्टयर रोही श्री डूँगरगढ तहसील श्री डूँगरगढ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 67 तादादी 2.0900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 104 तादादी 1.2600 हैक्टयर एवं अप्रार्थी संख्या 4 के खेत खसरा नम्बर 105 तादादी 5.0600 हैक्टयर रोही श्री डूँगरगढ में रिडी ग्रवेल सडक से फंटकर उतरी तरफ से गुजरता हुआ प्रार्थीनी केक खेत तक लगभग 300 मीटर लम्बा एवं 6 मीटर चौडा कुल 1800 वर्गमीटर (0.1500 हैक्टयर) रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 67 तादादी 2.0900 हैक्टयर खसरा नम्बर 104 तादादी 1.2600 हैक्टयर एवं अप्रार्थी संख्या 4 के खेत खसरा नम्बर 105 तादादी 5.0600 हैक्टयर रोही श्री डूँगरगढ में गै.मु. कटाणी दर्ज किया जाकर रास्ता देने का आदेश अप्रार्थी संख्या 5 को देवं ।

प्रार्थीनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की तरफसे जबाब पेश हुआ कि प्रार्थीनी ने रूक्मणी देवी से अपना खेत जब से खरीद किया है तब से आज तक वह श्री डूँगरगढ से रीडी जाने वाले कच्चे मार्ग व रेलवे स्टेशन से पास से फटकर खसरा नम्बर 103 विश्वानाथ सोमानी के खेत में प्रवेश करके खसरा नम्बर 491/112 से होते हुए खसरा नम्बर 490/112 विजयपाल पुत्र श्रवाराम के खेत में से होकर व खसरा नम्बर 111 दानाराम के खेत से होते हुए व खसरा नम्बर 106 बजरंगलाल, विजयपाल पुत्र श्रवणराम जाट के खेत से प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 107 में प्रवेश करती है व आज तक इसी रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीनी करती आ रही है यही प्रार्थीनी के खेत के लिए सबसे सही, सुगम, निकटतक आवागमन का रास्ता है इसलिए प्रार्थी इन्हीं खसरों में से होकर इस रास्ते को चौडा करवा सकती है । प्रार्थीनी खसरा नम्बर 106, 490/112 के मालिक बजरंगलाल, विजयपाल व उनके पिता श्रवणराम भांभू व खसरा नम्बर 111 के मालिक दानाराम भांभू के रिश्तेदार होने के कारण उनके बहकावे में आकर हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए हम अप्रार्थीगणों के खेताकें में से गलत रूप से अपने खेत का रास्ता बताते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । विजयपाल, दानाराम, बजरंगलाल द्वारा अपने खेतों में से रास्ता नहीं देकर गलत रूप से प्रार्थीनी को बहकावे में लेकर हम अप्रार्थीगण के खेतों में से प्रार्थीनी को रास्ता दिलवाना चाहते है तथा खसरा नम्बर 105, 784, 785 के खातेदार भी प्रार्थीनी से दरभीसंधि किए हुए है जो सभी आपसे में मिलकर गलत रूप से हम अप्रार्थीगण के खेतों में रास्ता कायम करवाने पर आमादा हो रहे है जबकि प्रार्थीनी का कभी कोई रास्ता हमारे खेतों में से नहीं रहा है । प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत होने से चलने काबिल नहीं व खारिज किए जाने योग्य है । प्रार्थीनी का अपने खेत में जाने का हम अप्रार्थीगण के खेतों में से कभी कोई

Scanned by CamScanner

रास्ता व पगडण्डी नहीं रही है ना ही प्रार्थीनी कभी हम अप्रार्थीगण के खेत में गई है । हम अप्रार्थीगण के खेत में से किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रहा है । प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र में जो प्रस्तावित रास्ता बताया है वह सही सुगम निकटतम आवागमन का रास्ता नहीं है । प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्रसही तथ्यों पर आधारित नहीं होने से चलने काबिल नहीं व खारिज किए जाने योग्य है । प्रार्थीनी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह प्रार्थना पत्र 1955 के राजस्थान अधिनियम संख्या 3 की तृतीय प्रफार्मा में पेश नहीं किया गया है इसलिए प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र चलने येग्य नहीं व खारिज किए जाने योग्य है ।

स्टेट की तरफ से जबाब पेश हुआ कि प्रार्थीनी की भूमि रोही श्री डूँगरगढ में खसरा नम्बर 784 में स्थित है तथा वर्तमान में वह अपने खेत में रोही सालासर में स्थित रेल्वे लाईन के साथ की भूमि से पैदल आती जाती है । प्रार्थी के खेत से निकटम रास्ता (कटाणी) बीदासर रोड से रेल्वे कोसिंग में से होता हुआ रीडी की तरफ जाने वाला रास्ता है । प्रार्थीनी को रेल्वे कोसिंग से रीडी रास्ते होते हुए खसरा नम्बर 67, 104, 105 में से रेल्वे लाईन के पास पास लाने में सुविधा रहती है । प्रार्थीनी के खेत में आने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है । प्रार्थीनी को अपने खेत में जाने के लिए सबसे सुविधाजनक रास्ता खसरा नम्बर 67, 104 व 105 में से रेल्वे लाईन के पास पास होना चाहिए । जिसको पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शें में लाल स्याही से डॉटैड दिखाया हुआ है ।

बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीनी को अपने खेत में आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है । राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्देशों में निर्देश दे रखे है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाया जावें । स्टेट ने भी अपने जबाब में माना है कि प्रार्थीनी को अपने खेत में जाने के लिए निकटतम व सुविधानक रास्ता है ।

अप्रार्थी संख्या 6 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीनी ने नगरपालिका से कोई रिलीफ नहीं चाही है । प्रार्थी नगरपालिका से क्या चाहती है खुलासा नहीं किया गया है । प्रार्थना पत्र में नगर नियोजन आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है नगर नियोजन को सुने बगैर किसी भी प्रकार का निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है । प्रार्थीनी ने कौन से खसरे में रास्ता चाहा है प्रार्थीनी द्वारा बताया नहीं गया है । प्रोपर पक्षकार संयोजन किये बगैर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । नगरपालिका को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया है अतः खर्चा दिलाया जावें ।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस में बताया कि सालासर रोही मास्टर प्लान में है जहां नगरनियोजन भूमि का उपयोग मास्टर प्लान के अन्तर्गत उपयोग निर्धारित है । नगरीय विकास व नगरपालिका को पक्षकार बनाना आवश्यक है । नगरपालिका एवं नगर नियोजक को पक्षकार नहीं बनाया है । जहां भूमि नगरपालिका की हों वहां धारा 251 ए की कार्यवाही नहीं की जा सकती। नगरपालिका एवं नगर नियोजक के अलग से एक्ट बना है उसमें कार्यवाही की जावें । पूर्व में एक प्रार्थना पत्र रूक्मणी बनाम शिवरतन चला था जो इसी न्यायालय द्वारा निर्णय कर खारिज किया गया था । उसी प्रार्थना पत्र में वाद के यहीं बिन्दु थे । उसकी प्रतियां नोटिस व अपील की पेश कर रहा हूं । वादगत

Scanned by CamScanner

भूमि पेराफेरी क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है नगरपालिका एवं नगर नियोजक को पक्षकार बनाना आवश्यक है । प्रार्थीनी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह काफी लम्बा है जबकि निकटतम रास्ता दिया जाना चाहिए अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें । इस संबंध में प्रार्थी नी आरआरटी 16 (1) वेज 440 एवं 649 के कानूनी दृष्टांत पेश किया ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः अपनी बहस में बताया कि नगरपालिका को पक्षकार बनाया हुआ है । नगर नियोजक इसमें आवश्यक पक्षकार नहीं है । पूर्व में जो प्रार्थना पत्र रूक्मणी बनाम शिवरतन भी चला था वह प्रकरण अलग था जो अभी राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर में विचाराधीन है । प्रार्थीनी को अपने खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है इस कारण से प्रार्थीनी द्वारा चार पांच वर्ष से अपने खेत की काश्त नहीं कर पा रही है । रास्ते के अभाव में मुझे अपूर्णनीय क्षति नुकसान एवं असुविधा का सामना करना पड रहा है । रास्ता सुविधा का न होकर अति आवश्यकयता है । मैं इसी रास्ते से आती जाती हूं कम दूरी का है अतः रास्ता डीएलसी की दुगनी दर प्राप्त कर दिया जावें ।

अप्रार्थी संख्या 6 ने पुनः अपनी बहस में बताया कि नगर पालिका को पक्षकार नहीं बनाया गया है कब बनाया गया । संशोधित वाद पेश नहीं किया न ही तलबी जारी की गई है ।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने पुनः अपनी बहस में बताया कि पूर्व प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है तो उसकी अपील चल रही है परन्तु पुनः दूसरे नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । वैकल्पिक रास्ता मैंने अपने जबाब में बताया है रेल्वे लाईन किसके खेत से जाती है । प्रार्थी के खेत से रेलवे लाईन नहीं जाती है । यही रास्ता निकाला गया तो मेरे खेत के टुकडे टुकडे हो जायेंगे जिसके कारण मैं अपनी खेत काश्त नहीं कर सकूंगा । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पूर्व में इसी प्रकृति का प्रार्थना पत्रसंख्याा 71/2017 रूक्मणी बनाम शिवरतन दायर किया गया था जिसे इसी न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.5.2013 को खारिज किया गया था जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर में विचाराधीन है । इस प्रार्थना पत्र व रूक्मणी बनाम शिवरतन के वादबिन्दु एक ही है तथा खसरा नम्बर भी रूक्मणी बनाम शिवरतन से मिलते जुलते है ।

## आदेश

ग्राम सालासर मास्टर प्लान में है परन्तु प्रार्थीनी द्वारा नगर नियोजक को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है । मास्टर प्लान की भूमि में रोड एवं भूमि उपयोग अलग से निर्धारित है । प्रार्थीनी द्वारा यह भी सिद्ध करने में असमर्थ रही है कि जो उनके द्वारा अपने खेत में आने जाने का रास्ता चाहा गया है वह किस तरह से अत्यंत आवश्यक नेचर का है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत आरआरटी 2014 पेज 44 में पारित निर्णय " इस प्रकार अधिनियम 1955 की धारा 251 ए और तत्सम्बन्धी नियमों में दो बातें स्पष्ट है कि भूमिगत पाईप लाइन बिछाने की अथवा नवीन रास्ता निकालने/चौडा करने की अत्यधिक आवश्यकता (absolute necessity) होनी चाहिए न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए,

Scanned by CamScanner

और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिये''।

उपर्युक्त कानूनी दृष्टांत यहां पर पूर्णतया चस्पा होते है । अतः प्रार्थीनी यह सिद्ध करने के असफल रही है कि उनके द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह अत्यन्त आवश्यक नेचर का है । प्रार्थीनी द्वारा वादगत भूमि सालासर जो मास्टर प्लान में है मास्टर प्लान में होने के कारण नगर नियोजक को पक्षकार बनाना आवश्यक था उन्हें भी प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकार नहीं बनाने के कारण प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते है अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । आदेश आज दिनांक 90.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

आदेश सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़

(उपखण्ड अधिकारी ... बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.12.04 11:58:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: